महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – उनतालीसवां संस्करण (माह जून, 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. प्र.मं.आ.यो.–लीलाबाई को मिला पक्का आवास
3. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. टीम बिल्डिंग
5. पंचायतीराज दिवस के अवसर पर जन भावनाओ के अनुरूप हो पंचायतीराज
6. सरकारी मदद से सपनों की उड़ान हुई साकार
7. ऐसे हों नवीन ग्राम पंचायत भवन
8. उपभोक्ता के अधिकार
9. एम.डीएम अंतर्गत डाटा फीडिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का उनतालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण जहॉ एक ओर विभिन्न सफलता की कहानियों वहीं दूसरी ओर कुछ नये सामान्य जानकारी वाले विषयों पर आलेखों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। **''प्रधानमंत्री आवास योजना से लीलाबाई को मिला पक्का आवास''**, **''सरकारी मदद से सपनों की उड़ान हुई साकार''** एवं **''ऐसे हो नवीन ग्राम पंचायत भवन''** आदि सफलता की कहानियां पर आलेखों का प्रस्तुतिकरण है।

साथ ही **''टीम बिल्डिंग''**, **''पंचायतीराज दिवस के अवसर पर जन भावनाओ के अनुरूप हो पंचायतीराज''** एवं **''उपभोक्ता के अधिकार''** विषयों पर अन्य आलेखों को इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 03 मई, 2018 एवं 23 मई, 2018 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है।

साथ ही संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में **''मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत डाटा फीडिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण''** पर समाचार आलेख प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

सफलता की कहानी
प्रधानमंत्री आवास योजना से लीला बाई को मिला पक्का आवास

अपना घर सबकी मूलभूत आवश्यकता है जिसे व्यक्ति जब तक संभव हो पूर्ण करने का प्रयास करता

है। लेकिन वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए अपना पक्का मकान बनाना संभव हीं नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की समस्या दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। इस योजना को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में गरीबजनों को उनका पक्का मकान घर मिलने की कई कहानियां हैं।

इन्हीं में से एक है जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के गोसलपुर गांव में रहने वाली श्रीमती लीला बाई।

पहले लीला बाई का एक कमरे का कच्चा घर था, छत पर कच्ची छप्पर होने के कारण बारिश में पानी टपकता था, जिससे पूरा घर गीला हो जाता था। यदि बारिश लंबी रही तो ऊपर से पानी टपकता था और नीचे गीला रहने से सीलन की समस्या रहती थी। लीलाबाई ने बताया कि बरसात में हम बड़े मुश्किल से दिन निकालते थे। हर समय डर बना रहता था कि कोई गीले में से कोई जीव जंतु न निकल आये। कई बार मन में आता था कि अपना भी अच्छा घर बन जाए। पर ऐसा सोचने में भी डर लगता था क्योंकि मकान बनाना हमारे लिए संभव ही नहीं था।

लीलाबाई के असंभव स्वप्न को संभव में बदला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने। योजना के तहत लीलाबाई का सूची में नाम शामिल हो गया। लीलाबाई को पंचायत से इसकी जानकारी प्राप्त हुई। आवेदन देने के बाद सर्वे के उपरांत लीलाबाई को तीन किश्तों में आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त हुई। लीलाबाई मुस्कराकर कहती हैं, ''अब हमारे दुख के दिन दूर हो गये हैं। हमारे पास अपना पक्का मकान भी है और शौचालय भी। हमारी तरफ से सरकार को धन्यवाद। हमारा परिवार खुशहाली में जीवनयापन कर रहा है।''

कहां : जिला जबलपुर, जनपद पंचायत सिहोरा, ग्राम गोसलपुर।

समस्या : लीलाबाई के पास पक्का आवास नहीं था।

समाधान : प्रधानमंत्री आवास योजना से लीलाबाई को मिला पक्का मकान।

सौजन्य से :
मध्यप्रदेश पंचायिका

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 03.05.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)–

अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य की प्रगति से सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराया। जिला सिंगरौली एवं श्योपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने अपने जिले को 02 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ करने की रणनीति की विस्तार से जानकारी दी गई।

(अ) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सम्बोधित करते हुये निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा व्यक्त की गईः–

1.1 अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में शौचालय निर्माण की दर में वृद्धि कर तय समय–सीमा में जिले में ओडीएफ घोषित किये जाने की रणनीति तैयार की जाए।

1.2 ओडीएफ घोषित ग्रामों में निर्धारित समय–सीमा में ओडीएफ सत्यापन का कार्य प्राथमिकता से किया जाकर उन ओडीएफ ग्रामों को सत्यापित किया जावे।

1.3 प्रदेश के 7500 ग्राम ऐसे हैं जिनकी प्रगति 90 से 99 प्रतिशत है। इन ग्रामों में प्राथमिकता से शेष शौचालयों का निर्माण कर उन्हें ओडीएफ घोषित किया जा सकता है।

1.4 1602 ओडीएफ घोषित ग्रामों में अभी भी 3200 शौचालयों का निर्माण शेष है। इन ग्रामों में प्राथमिकता से शेष शौचालयों को निर्मित किया जाना अत्यावश्यक है।

1.5 प्रदेश में लगभग 1.8 लाख अनुपयोगी शौचालय दर्शित हो रहे है। इनका सर्वे कराकर वास्तविक अनुपयोगी शौचालयों का सुधार कराया जाना आवश्यक होगा। जिससे ग्राम पूरी तरह से ओडीएफ हो सकें। इसके लिये स्थानीय सीएसआर से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस कार्य हेतु स्वच्छ भारत कोष से वित्त पोषण का प्रस्ताव भी मंत्रालय को भेजा जाए, जिससे उसकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।

1.6 प्रदेश में 35000 से भी अधिक स्वच्छाग्राही पंजीकृत हैं, जबकि कुल ग्रामों कीसंख्या 51000 से अधिक है। अतः स्वछाग्राही की संख्या बढ़ायी जाए तथा उनको प्रदाय मानदेय की प्रविष्टि एमआईएस में की जाये।

(ब) अपर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश –

1.1 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सचिव भारत सरकार द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का तत्काल परिपालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 जिलावार समीक्षा में रीवा एवं देवास जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनका जिला अगले सप्ताह तक ओडीएफ हो जायेगा।

1.3 कम प्रगति के जिले सुनिश्चित करें कि निर्माण एजेन्सी से शौचालय निर्माण की प्रगति बढ़ाई जाए, इसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह अवश्य देखें कि साप्ताहिक लक्ष्य के अनुरूप निर्माण एजेन्सी को प्रथम एवं द्वितीय किश्त दी जा रही हो।

2. महात्मा गांधी नरेगा–

2.1 प्रधानमंत्री आवास में पूर्ण प्रतिवेदित कार्यो में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 मानव दिवस के रोजगार प्रदान करने की समीक्षा में विगत 03 सप्ताह के मस्टर रोल की समीक्षा की गई। अधिकांश जनपद पंचायतों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री आवास में पूर्ण प्रतिवेदित कार्यो में 90 दिवस रोजगार के लिए आगामी 04 सप्ताह तक के मस्टर रोल जारी किये जा सकते है। साथ ही उस जॉबकार्ड में प्रदर्शित परिवार के सभी सदस्यों के नाम से मस्टर जारी कर समय सीमा में 90 दिवस का भुगतान कों। समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों में 2016–17 एवं 2017–18 की अधिसूचित

मजदूरी दर पर भुगतान करने के कारण 90 दिवस का मस्टर जारी नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट किया जाता है कि PMAY-G में मानव दिवस के आधार पर भुगतान किया जाता है, DPR राशि आधार पर नहीं ।

2.2 जब तक हितग्राही का पृथक बैंक खाता उपलब्ध न हो, तब तक हितग्राही का खाता अनफ्रीज नहीं किया जाए तथा ऐसे प्रकरणों में पूर्ववत् संयुक्त खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

2.3 विगत वर्ष माह अप्रैल में नियोजित श्रमिकों की तुलना चालू वर्ष में नियोजित श्रमिकों से की गई तथा सभी जिलों से लेबर बजट के अनुरूप लेबर निोजन तथा समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये गये। Dysfunctional ग्राम पंचायतों की समीक्षा की जावे।

2.4 अधिकांश ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कार्यो के लिए महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मस्टर रोल जारी होना है। अतः इतनी अधिक ग्राम पंचायतों में शून्य मस्टर की स्थिति परिलक्षित नहीं होना चाहिए, समीक्षा कर मस्टर रोल जारी करें। वर्ष 2018–19 में लिये जाने वाले नये कार्यो को चिन्हित कर शीघ्र प्रारंभ कराएं।

2.5 R.14.2 अंतर्गत 15 दिवस से अधिक लंबित मस्टर रोल भुगतान की समीक्षा की गई। सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि मस्टर रोल का भुगतान अधिकतम 08 दिवस में सुनिश्चित किया जाए एवं इस हेतु आवश्यकतानुसार लिंक अधिकारी नामित किया जाए जिससे संबंधित अधिकारी के अवकाश पर जाने की स्थिति में लिंक अधिकारी मजदूरों का भुगतान निर्धारित समयावधि में कर सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुनिश्चित करें, किसी भी स्थिति में मस्टर रोल का भुगतान 15 दिवस से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए।

2.6 लंबित सामग्री भुगतान जिन जनपदों अथवा लाईन विभाग के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है वे आगामी 03 दिवस में मनरेगा परिषद के आदेश का पालन करते हुये भुगतान सुनिश्चित करें।

3. असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही एवं हितलाभ वितरण–

वीडियों कान्फ्रेंस में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही एवं हितलाभ वितरण के क्रियान्वयन एवं आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत एवं श्रम अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने अवगत कराया कि लगभग 02.07 करोड़ असंगठित श्रमिकों का चिन्हांकन किया जाकर प्रविष्टि की जा चुकी है। 38 लाख से अधिक श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही की जा चुकी है जिनके पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी होना है। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में प्राप्त आवेदनों को स्कैन किया जाकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है तथा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी को व्यवस्थिति रूप से पंचायतवार/वार्डवार प्रत्येक जनपद/नगरीय निकाय में संधारित भी किया जाना है। चर्चा में प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा सूचित किया गया किः–

3.1 सभी जनपद पंचायतों में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मानदेय रू. 10 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा।

3.2 सभी जनपद पंचायतों में कम्प्यूटर, प्रिन्टर/स्कैनर, स्टेशनरी आदि हेतु प्रति जनपद पंचायत रू0 1.00 लाख दिया जायेगा।

3.3 सभी जनपद पंचायतों में प्रशासनिक व्यय हेतु प्रति जनपद पंचायत रू. 1.20 लाख दिया जाएगा।

3.4 साथ ही सभी जिलों को पंजीयन प्रमाण–पत्र स्मार्ट कार्ड के रूप में दिया जाना है जिसके लिये प्रति स्मार्ट कार्ड रू. 10/– की राशि सभी जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में पृथक से शासनादेश जारी होंगे तथा उसके अनुरूप कार्यवाही की जावे।

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 23.05.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेबर नियोजन–

1.1 मजदूरों के नियोजन के संबंध में समस्त जिलों की मई 2018 तक की अनुमोदित लेबर बजट के विरूद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई, जिसमें सागर, श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, हरदा, इंदौर, होशंगाबाद, सीधी एवं पन्ना आदि जिलों की उपलब्धि 20 प्रतिशत से कम पाई गई। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया गया कि लेबर बजट के लक्ष्य के अनुसार तत्काल मजदूरों का नियोजन (labour engagement) बढ़ाएं।

1.2 सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सूखा घोषित तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर आवास के साथ–साथ अन्य कार्यो को हाथ में लिया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सकें।

1.3 PMAY तथा NREGA soft में प्रदर्शित हो रहे अन्तर में जिला सागर, टीकमगढ़ एवं सतना में अभी तक अप्रारंभ (unstarted houses) सबसे ज्यादा प्रदर्शित हो रहे है। समस्त जिलों में आवास साफ्ट एवं नरेगा साफ्ट अन्तर की समीक्षा कर 95 दिवस की मजदूरी हेतु मस्टर जारी करने की कार्यवाही करें।

1.4 वर्ष 2018–19 में लिये जाने वाले कार्यो में कुछ जिलों में आनुपातिक रूप से पर्याप्त संख्या में नवीन कार्य नहीं लिये गये हैं। उन्हें निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए नवीन कार्य लेकर लक्षित बजट की पूर्ति की जाए। Spill over works (R6.6) रिपोर्ट की समीक्षा अनुसार Spill over works पर मस्टर जारी करने की प्रगति अत्यन्त कम है। अशोकनगर, भोपाल, देवास, धार, डिण्डौरी, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगौन, नरसिंहपुर, पन्ना रायसेन, सीहोर, शहडोल, एवं उज्जैन जिलों को छोड़कर शेष में अत्यंत कम होकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 3 या उससे कम कार्य लिये गये हैं। इसकी समीक्षा कर प्रगति लायी जाए।

1.5 दिनांक 21.05.2018 की स्थिति में (इस वित्तीय वर्ष में) इन जिलों – भिण्ड–131, छतरपुर–89, मुरैना–128, रीवा–126, सागर–119, सतना–135, दमोह–75, बालाघाट–83, सीधी–78 एवं टीकमगढ़–71 एवं होशंगाबाद–78 के द्वारा मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया है। उपरोक्त जिले समीक्षा कर ग्राम पंचायतों में मजदूरी का नियोजन बढ़ाएं।

1.6 अशोकनगर, ग्वालियर, खरगौन, खण्डवा, नरसिंहपुर, रीवा, रायसेन, शाजापुर, भोपाल एवं सीधी जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों की dysfunctional ग्राम पंचायतों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक रही है। समीक्षा कर मस्टर जारी किये जाएं।

1.7 खण्डवा जिले की समीक्षा में पाया गया कि जनपद पंचायत, खालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा विकास कार्यो की रूचि न लेने एवं सतत् अवकाश पर

रहने के कारण निलंबन के आदेश गए (कार्यवाही संयुक्त आयुक्त, स्थापना द्वारा)। इसी प्रकार जनपद, पंधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा विकास कार्यो की सही जानकारी न देने के कारण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा समीक्षा करेंगे और आगामी व्हीसी में रिपोर्ट एवं जनपद पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंधाना के साथ चर्चा करेंगे।

1.8 ग्राम रोजगार सहायकों के हड़ताल पर होने से ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभार देते हुए नरेगा साफ्ट का पृथक लॉगिन पासवर्ड जनरेट करने के निर्देश दिये गए। कुछ जिलों द्वारा यह व्यक्त किया गया कि ग्राम पंचायत, सचिव द्वारा दर्ज मांग को, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा विलोपित कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए जिला/जनपद पंचायत द्वारा संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

1.9 ग्राम रोजगार सहायक द्वारा गंभीर अनियमितता की जाना पाए जाने पर उसकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाए। ऐसी सेवा समाप्ति पर जो रिक्त पद होगा उस पर जिलों द्वारा नई नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ करें। इस संबंध में परिषद से पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)–

2.1 वर्ष 2018–19 में आबंटित लक्ष्यों के विरूद्ध सतना, अनूपपुर, मण्डला, खण्डवा, सीधी, जबलपुर, सिवनी, सीहोर, विदिशा, रतलाम, बालाघाट एवं रीवा द्वारा स्वीकृतियां 1500 से अधिक लंबित है। इसी प्रकार प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त का अंतर इंदौर, उज्जैन, भिण्ड, दतिया तथा ग्वालियर को छोड़कर शेष जिलों ने 1500 से अधिक है। यह चिंतनीय स्थिति हैं। आगामी वी.सी. के पूर्व सभी लक्षित हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी करना तथा न्यूनत्तम 75 प्रतिशत हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी करना सुनिश्चित करें।

2.2 वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 की लक्ष्य के विरूद्ध अपूर्ण आवासों की समीक्षा की गई। सतना, कटनी, दमोह, रीवा, खरगोन, सिवनी, छतरपुर, सिंगरौली, झाबुआ, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़ एवं बड़वानी जिलों में 6000 से अधिक पूर्ण आवास निर्माण हेतु शेष हैं।

2.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नागौद बिना किसी तैयारी के वी.सी. के दौरान उपस्थित रहे। जनपद पंचायत, नागौद की विस्तृत समीक्षा आगामी वी.सी. में की जावेगी।

2.4 शिवपुरी जिले में नरवर जनपद के वी.सी. की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वी.सी. स्वास्थ्य कारणों से अनुउपस्थित बताएं गए। वी.सी. का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तथा उनके विरूद्ध शिकायतों की जॉच कर दोषी पाये जाने पर संविदा समाप्त कर दी जाए।

3. मध्यान्ह भोजन–

3.1 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित शालाओं में भोजन पकाने की राशि का भुगतान अगस्त 2017 के पश्चात् संबंधित संस्थाओं को पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अगस्त 2017 के पश्चात् जिन

शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरित किया गया है परन्तु तत्समय राशि का भुगतान किसी कारण नहीं हो पाया था। उन्हें लंबित भोजन पकाने की राशि का भुगतान किसी कारण नहीं हो पाया था। उन्हें लंबित भोजन पकाने की राशि का भुगतान किया गया है। सभी जिलों से यह अपेक्षा है कि वे वर्तमान में लंबित भुगतान की स्थिति से दिनांक 28.05.2018 तक अवगत करायें।

3.2 प्रदेश की 26322 शालाओं की शाला प्रबंधन समितियों की एमडीएम पोर्टल पर मैपिंग के अभाव में प्रशासनिक मद की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। दिनांक 28.05.2018 तक मैपिंग पूर्ण करें ताकि भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

3.3 प्रदेश के 18 जिलों की 132 तहसीलों को राज्य सरकार द्वारा सुखा ग्रस्त घोषित किया गया है इन सुखा ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में मध्यान्ह भोजन वितरित करने के निर्देश हैं। इन समस्त जिलों को खाना पकाने की राशि तथा खाद्ययान उपलब्ध कराया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण सुचारू रूप से संचालित हो।

4. स्वच्छ भारत मिशन–

4.1 आगामी वीडियों कान्फ्रेंसिंग के पूर्व राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले चयनित समस्त जनपद पंचायतों में प्रति जनपद 10–10 के मान से स्वच्छाग्रही की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

4.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बल्देवगढ़ एवं टीकमगढ़ द्वारा योजना की प्रगति के संबंध में चाही गयी जानकारी असंतोषजनक होने से अपर मुख्य सचिव, महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा उक्त दोनों मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आगामी आयोजित होने वाली प्रत्येक वीडियों कान्फ्रेसिंग में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

4.3 आगामी वीडियों कान्फ्रेसिंग से पूर्व निर्माण एजेंसी के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु इच्छुक समस्त हितग्राहियों को चिन्हित कर शत–प्रतिशत हितग्राहियों को निर्माण एजेंसी के साथ मैंप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने हेतु शेष जिलों में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर तय समय–सीमा में ओडीएफ घोषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. पंचायतराज–

5.1 जनपद पंचायत, सोहागपुर जिला शहडोल, त्योंथर जिला रीवा, पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़, लहार, जिला भिण्ड एवं कराहल जिला श्योपुर के द्वारा जनपद पंचायत के एकल खाते के ओपनिंग बैलेन्स पंच परमेश्वर पोर्टल पर फ्रीज नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि दिनांक 24.05.2018 की सांय तक एकल खाते को फ्रीज करें अन्यथा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को व्यक्तिगत रूप से अपर मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण देना होगा।

टीम बिल्डिंग

कुछ लीडर्स में ऐसा क्या होता है कि वह अपनी टीम को को इस तरह बनाने में समर्थ होते है कि उनमें हमेशा प्रबल सामूहिक भावना या एक दूसरें के प्रति निष्ठा होती है? और ऐसा क्यों होता है कि व्यक्तिगत चर्चाओं में जो लीडर पर्याप्त प्रेरणादायी दिखते है , वे टीम में हमेशा सफल नही हो पाते हौं। उनकी टीम में मतभेद तथा संघर्ष होते रहते है। इसलिये वे अवनी टीम से काम सफलता पूर्वक नही करवा पाते। जो लीडर सामूहिक मनोबल का सिद्वान्त सीख सकता है वह एक बहुत मूल्यवान व्यक्ति बन जाता है। अच्छी टीम भावना से लोग न केवल किसी काम को आधे समय में कर लेते है बल्कि इससे नये लोग भी संगठन के अन्दर खिचें चले आते हैं अतः टीम में कार्य करते हुये एक उच्च उर्जा का माहौल बन जाता है अच्छे लीडर सिर्फ अपने प्रति ही निष्ठा जाग्रत नही करते जों महत्वपूर्ण तो है परन्तु पर्याप्त नही। वे इससे भी आगे जाकर समूह में सामूहिक निष्ठा जाग्रत करते है ।

एक अच्छा नेतृत्व वही कर सकता है जिसको सबको लेकर चलना आता हो । कोई भी कार्यक्रम का आयोजन अकेले नही हो सकता इसके लिये कई लोगों की जरूरत होती है। साथ ही टीम भावना से काम करने से सफलता को काफी हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है। 70 के दशक में कच्छुए और खरगोश की कहानी सफलता के कुछ कारणों को सुनिश्चित करती थी परन्तु आज के सन्दर्भ में यह कहानी उपयुक्त नही है इसे हमें थोड़ा सुधार करना होगा क्यों कि जीतने वाले को तो खुशी होती है परन्तु हारे हुये व्यक्ति के साथ कार्य करना भी मुश्किल होता है। तब जब कि उसके अन्दर काम करने की क्षमता हो अतः यदि हम इस कहानी को आगे बढ़ाते है कि जब खरगोश को अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने अपनी गल्ती से सबक लिया और उसने कच्छुए से एक बार और रेस के लिये कहा अब कि बार उसने बीच में आराम नही किया बल्कि जहां रेस खत्म होती है वहां पहुच कर आराम किया। परन्तु इसका परिणाम भी वही रहा अब कच्छुआ हारा । और कच्छुए ने जब अपनी हार का मूल्यांकन किया तो उसे पता चला कि उसकी प्राकृतिक क्षमता उन परिस्थतियों के लिये उपयुक्त नही थी। अतः अब कच्छुए ने खरगोश से पुनः एक रेस रखने को कहा परन्तु रास्ते में थोड़ा परिवर्तन किया उसने कहा कि रेस नदी के उस पार जाकर खत्म होगी। कच्छुए ने बिना सोचे समझे अपनी

सहमती दे दी क्यो कि उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। परिणाम निकला कि नदी के पहले ही खरगोश असहाय हो गया और कच्छुए ने रेस जीत ली। इस बार भी वही स्थिति ? परन्तु मैनेजमेंट फन्डा कहता है कि टीम में काम करने के लिये हमें अपनी कोर कोम्पेटेन्सी के साथ साथ अपने साथ कार्य करने वाले की कोर कोम्पेटेन्सी की भी जानकारी होनी चाहिये। अतः अब कि बार दोनो ने निश्चय किया कि कोई एक नही दौनों जीतेगें दौनों ने मिल कर ये निर्णय लिया कि सूखी जगह पर तुम मेरी (खरगोश) पीठ पर बैठोगें और नदी में कच्छुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठायेगा। और अन्त में दौनों ने मिल कर रेस जीत ली। अतः हमें भी अपने विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर सहयोग की भावना से कार्य करना होगा तब ही शासन और जन प्रतिनिधि दौनों के सामूहिक प्रयास से किसी भी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

टीम में कार्य करने के आवश्यक घटक

- **सहयोग को महत्व दें** : जब कई लोगों से मुकाबला होता है तो एक व्यक्ति हार जाता है परन्तु यदि दो लोग हो तो कहानी और होती हें यदि हम ऐ दूसरे को सहयोग दे तो टीम की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है।

- **जुड़ने की भावना** : हममें से हर एक मजबूती से जुड़े लोगों के समूह का हिस्सा बनना पंसद करता है। जहां हमें जाना जाये तथा स्वीकार किया जाये । जहां हम एक दूसरे के प्रति निष्ठा वान हो ,जहां हम जानते हों कि हमारे मुसीबत में पड़ने पर समूह हमारे मदद करेगा। यह एक पुरानी कबीलाई भावना है।

- **क्वालिटी कंट्रोल** : अच्छी टीम अपने मानदण्डों के लिये खुद को हमेशा पूरी तरह जिम्मेदार ठहराती है खराब लीडर यह गल्ती करते है कि वह क्वालिटी कंट्रोल के एक मात्रा प्रहरी स्वंय बन जाते है जबकि एक अच्छा लीडर लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वह उत्कृष्टता के लिये एक दूसरे को जबाव देह माने ।

- **सब एक के लिये एक सबके लिये** : टीम का हर सदस्य यह विश्वास करता हे कि लीडर सामूहिक हित को सबसे ऊपर रख रहा है। किसी टीम में उत्साह पूर्वक शामिल होने का फैसला करते समय किसी व्यक्ति के दिमाग में हमेशा यह सवाल होता है कि क्या ये लीडर सिर्फ अपने हित के लिये काम कर रहा है या सबके हित के लिये । ?

- **वायदे करो तो निभाना सीखें** : हममें से कई लोग बहुत से लोगों से कई वायदे

तो कर लेते है परन्तु उन्हें निभा नही पाते यह बात टीम के सदस्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है

- **टीम में निष्पक्षता का व्यवहार होः** यह एक हितोत्साहित करने वाली नीति है कि टीम के सदस्यों को निष्पक्षता से पुरस्कार न देना । अच्छे लोग अक्सर इस वजह से खराब बॉस साबित होते है अगर आप कुछ लागों के लिये नियम शिथिल करते है तो इससे आपके स्टॉफ में दुविधा उत्पन्न होती है और उनके मनोबल में कमी आती है हर एक के साथ अच्छे संबध बनाने के चक्कर में यह प्रतीत होता है आप सब कर्मचारियों के कल्याण के बजाय कुछ खास लोगों के सुख की ज्यादा परवाह करते है जिससे टीम में आपस में अविश्वास पैदा होता है जिससे बेहतर परिणामों की अपेक्षा नही की जा सकती हैं ।

- **व्यक्ति का संरक्षण** : टीम के सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि कि वे टीम में गुम नही जायेंगें। यहां पर विरोधावास नजर आता है। हम अपने आप को किसी ऐसी टीम में घुलमिल जाने देंगें , जहां हमें यह विश्वास हो कि लीडर हमारी व्यक्तिकता को मूल्यवान समझोंगें। अगर लोग टीम में काम करने में यह महसूस करें ि कवह टीम में रह कर कुर्बान हो जायेगें तो अन्हें उस टीम में रहने से डर लगेगा।

टीम भावना बनाने के कदम :

- सहयोग को पुरस्कार दें
- समूहिक मनोबल की जिम्मेदारी समूह पर छोंड़ दें
- ऐसे अवसरों की योजना बनायेंज ब लोग इक्कठे बाहर जा सकें ।
- सम्प्रेषण को अधिक महत्व दें

अगर हम अपने साथियों के बारे में सर्वश्रेष्ठ आशा करेंगें , तो वे उस आशा के अनुरूप व्यवहार करने की पूरी कोशिश करेंगें । हमारे सामने आश्चर्यजनक अवसर यह है कि कि हम सामने वाले व्यक्ति के जिस पहलू को चाहें , उस पहलू को सामने ला सकते है ं इसका मतलब यह है कि हम अपने सामने मुश्किलें पैदा करने वाले लोगों के तार्किक और सफल स्वरूप को भी सामने ला सकते है।

टीम में कई लोग मिल जुल कर कार्य करते है अतः कभी कभी किसी बिन्दू पर आपसी सहमति नही बन पाती हैं। आपसी तालमेल न होने के कारण कार्यक्रम के वाछिंत परिणाम हमें प्राप्त नही होते अतः समन्वय कौशल की समझ होना भी जरूरी है ताकि आपसी समझ और तालमेल के साथ योजनाओं की प्रभावी कियान्वयन हो सके ।

श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ट
संकाय सदस्य

पंचायतीराज दिवस के अवसर पर जन भावनाओ के अनुरूप हो पंचायतीराज

त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओ को संवैधानिक दर्जा देने हेतु हमारे संविधान मे 73 वां संविधान संशोधन किया गया तथा इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है यह तीन स्तर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत है एवं पूर्व मे विकास संबंधी योजना को केन्द्र एवं राज्य स्तर तैयार कर उनका कियान्वयन ग्राम स्तर पर किया जाता था योजना तैयार करने मे पंचायती राज संस्थाओ की कोई भूमिका नही होती थी इस कारण योजना का कियान्वयन निचले स्तर पर सफलता पूर्वक नही हो पाता था तथा अनेक लोग इस योजना से वंचित हो जाते थे। केन्द्र एवं राज्य सरकार के ध्यान मे यह बात आने के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था को मूर्त रूप देकर योजनाओं को तैयार करना एवं उनका सफल कियान्वयन हो इसका उत्तरदायित्व इन संस्थाओ को दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम की समस्याओ का समाधान ग्राम स्तर पर होने लगा। किंतु अभी भी इन संस्थाओ मे आपसी मतभेद उभरकर सामने आते है इस कारण कियान्वयन मे कठिनाई उत्पन्न होती है। योजना के सफल कियान्वयन व ग्राम स्तर पर विकास अच्छी प्रकार हो सके इस हेतु कुछ सुधार किए जाएं इसकी शुरूआत से की जा सकती है।

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बीच कार्यो का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। अभी ग्राम सभा स्तर पर ग्रामवार विकास योजनाएं तैयार की जाती है एवं ग्राम पंचायत इनका कियान्वयन करती है, कुछ योजनाओं मे भौतिक व वित्तीय लक्ष्य ग्रामसभावार दिए जाते है। उदाहरण के लिए इंदिरा आवास योजना। प्रायः देखने मे आता है कि ग्रामसभाओ की कार्यवाही महज कागजों तक सीमित होकर रह जाती है एवं इसमे जनता की भागीदरी नगण्य होती है। इस कारण हितग्राहियों का चयन उचित प्रकार से नही हो पाता। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित संस्था को उत्तरदायी किया जाना चाहिए तथा 10 प्रतिशत कोरम तथा

महिलाओ की भागीदारी भी अनिवार्य की जाना चाहिये। ग्राम पंचायतो की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नही है इस कारण ग्राम पंचायतो को योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त अनुदान राशि नही मिल पाती है। धन के अभाव मे पंचायतो मे विकास योजनाओ को पूर्ण करने मे कठिनाई हो जाती है। यदि पंचायतो मे कुछ करारोपण कर दिए जाते है जैसे संपत्तिकर, भवन कर, प्रकाश स्वच्छता, व्यवसाय कर, पशु पंजीयन शुल्क ठेकों की नीलामी इत्यादि तब पंचायतो को अतिरिक्त धन राशि प्राप्त हो सकती है। यदि कोई पंचायत इस दायित्व का निर्वाह नही करती है तो उसे शासन से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से वंचित किये जाने का प्रावधान होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओ मे महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है त्रिस्तरीय पंचायतो के गठन मे समुचित संख्या मे महिलाओ को आरक्षण देकर उन्हे इन संस्थाओं मे समान अवसर दिए जाने का प्रावधान म.प्र. सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओ मे महिलाओ के लिण 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए है किंतु विगत 20 वर्षों का अनुभव हमे बताता है कि मात्र चुनाव जीतने के लिए महिलाओ का नाम आगे किया जाता है एवं उनके स्थान पर पुरूष रिश्तेदार जैसे, पति, पुत्र, पिता, ससुर की पंचायतो की संपूर्ण कार्यवाही संचालित करते है ऐसी स्थिति मे महिलाओं से संबंधित समस्याओ का समाधान संभव नही हो पाता। स्थिति मे सुधार हेतु महिलाओ मे शिक्षा का प्रसार उनको अधिकार संपन्न बनाना सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। महिलाओ की योजनाओ मे भागीदारी न हेने के कारण अनेक योजनाओं का लाभ उनको नही मिल पाता है। आर्थिक व सामाजिक सुधार के लिए स्व सहायता समूहों के गठन के अवसर महिलाओ को दिए जावे। शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओ व कार्यक्रमो का लाभ निचले स्तर पर लोगो को मिल रहा है कि नहीं इसका सतत निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जाना अत्यावश्यक है शासन स्तर से इस कार्य हेतु ग्राम स्तर जनपद जिला पर निगरानी व मूल्यांकन सतर्कता समितियो का गठन किया गया एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है कि किंतु प्रायः देखने मे आता है कि यह समितियां मात्र औपचारिकतापूर्ण करने का कार्य करती है अनेक बार तो निगरानी समिति के सदस्य को यह जानकारी ही नही होती कि वो किसी समिति का सदस्य है इस विषम परिस्थिति का समाधान निगरानी समितियो का सशक्त बनाकर, जागरूकता द्वारा किया जा सकता है। समिति को दायित्व व अधिकारों का बोध होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश मे सूचना का अधिकार लागू कर कार्य मे पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सभी विभागो को जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि इस अधिकार के अन्तर्गत आप किए गए कार्यो का अवलोकन खर्च की राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पंचायती राज संस्थाओ के निर्वाचित प्रतिनिधियो का प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के माध्यम से वे अपने अधिकारो व कर्तव्यो को भली प्रकार से जान सकते है तथा इससे प्राप्त जानकारी का उपयोग क्षेत्र के विकास मे कर सकते है। प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्य करने की क्षमता का विकास होता है।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य

सरकारी मदद से सपनों की उड़ान हुई साकार

जिला आगर (मालवा) के जनपद पंचायत सुसनेर अंतर्गत ग्राम बड़िया के बालचंद बैरागी ने सपनों की उड़ान को हकीकत में बदला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम संगठन द्वारा ओम शांति समूह को राशि रूपये 50,000 की आर्थिक सहायता से समूह के सदस्य श्री बालचंद बैरागी एवं समूह की कुछ महिलाएँ मध्यप्रदेश हर्बल साबुन (ग्लिसरीन सोप) नीम ऐलोवेरा का उत्पादन कर रहें है। जिसके फलस्वरूप 15 रूपये की लागत से बनने वाला नीम ऐलोवेरा साबुन 20 रूपये में विक्रय किया जा रहा है।

निर्मित साबुन को तीन फ्लेवर में सेन्टेड बनाया गया है। जिसमें गुलाब, चंदन, स्ट्रॉबेरी का सेंट मिलाकर सुगंधित बनाया गया है। साथ ही शासन द्वारा रोजगार मेले में श्री बालचंदजी द्वारा मार्केटिंग कर उत्पादित उत्पादन से मुनाफा कमाना प्रारंभ कर दिया है। इनके द्वारा शासन से अपेक्षा है कि उत्पादन को मार्केटिंग सपोर्ट लगातार मिलने पर अन्य ब्रांडेड कम्पनियों के उत्पादन की तरह विक्रय कर अधिक लाभ कमाया जा सकेगा। इस हेतु जिला पंचायत/जनपद पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वरोजगारी को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण दिलाया जाकर मार्केटिंग उपलब्ध कराने हेतु मदद की जा रही है।

जी.एस. लोहिया
संकाय सदस्य

ऐसे हों नवीन ग्राम पंचायत भवन

क्षेत्रीय ग्रामीण एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन में आयोजित नेटवर्किंग अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों के दल को दिनांक 27.02.2018 को उज्जैन शहर से आगर रोड़ पर 40 कि.मी. दूर

स्थित जनपद पंचायत घटिया ग्राम कालूहेड़ा का भ्रमण कराया गया। जिसमें ग्राम पंचायत कालूहेड़ा पहुँचने पर पंचायत भवन का नवनिर्मित स्वरूप सामने आया जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को ऐसा ही आधुनिक बनाया जाना चाहिए। जो कि सर्वसुविधायुक्त हो। यहाँ के सरपंच महोदय श्री सिंह द्वारा विशेष रूचि लेने के कारण ग्राम पंचायत भवन का निर्माण इतनी मजबूती एवं आधुनिक भव्यता के समावेश से किया गया है।

ग्राम पंचायत भवन में एक सरपंच कक्ष एक सचिव कक्ष एक जी.आर.एस. कक्ष है जो कि कम्प्यूटर एवं एल.ई.डी. टीवी से सुसज्जित है। पूर्व में जो पंचायत भवन निर्मित था वो जर्जर अवस्था में एवं निचले इलाके में था। जिससे बारि ा का पानी आ जाता था और सरकारी रिकार्ड भी खराब होने की स्थिति बनती थी। मगर आज यह भवन बनकर तैयार है जिसे देखते ही बनता है।

इसके आगे ही 05 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थान नारायणा ग्राम है। जिसे हर व्यक्ति को जरूर एक बार देखने जाना चाहिए। यह स्थान प्राचीन ही नहीं ऐतिहासिक भी है। इस ग्राम का संबंध श्रीकृश्ण एवं सुदामा के काल से है।

भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा सुदामा के साथ अपनी शिक्षास्थली उज्जैन से लकड़ी इकट्ठी करने क्षिप्रा नदी पारकर यहाँ आए थे और भीषण वर्षा होने पर अपने लकड़ी का गट्ठा वहीं रखकर वापस चल दिए जो आज दो अलग अलग वृक्ष के रूप में आज भी विद्यमान है।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य

उपभोक्ता के अधिकार

भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बडा देश है। अधिक जनसंख्या के कारण यहॉ दुनिया का सबसे बडा बाजार भी है जिसमें बहुत बडी संख्या मे उपभोक्ता अथवा ग्राहक भी इस देश मे है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं का उपभोग करते है किंतु इतना बडा बाजार होते हुए भी अभी भी हमारे देश मे उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंध मे एवं उपभोक्ताओ के अधिकारों के संबंध मे जानकारी का आभाव महसूस होता है आज हमारे देश मे प्रतिदिन दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं आवश्यक सेवाओं का क्रय–विक्रय तो बहुत होता है किंतु उत्पाद किस गुणवत्ता का है अथवा मिलने वाली सेवाऍ किस प्रकार की है एवं क्या उपभोक्ता इनसे संतुष्ट है कि नही इन सब बातों पर अभी लोगो का ध्यान ज्यादा नही जाता है आज भी हमारे देश मे छोटे एवं मझौले शहरों मे व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय करते समय न तो उस वस्तु के बारे मे दी गई जानकारी पढता है और न ही उसका बिल लेने मे रूचि रखता है उसकी इसी बात का फायदा उठाकर विक्रेता उसे ऐसी वस्तु दे देता है जो कि मानक के हिसाब से सही नही होती है। किंतु ग्राहक भी यह सोचकर कि वह कुछ नही कर सकता एवं उसे उपभोक्ता के अधिकारो की जानकारी का आभाव होता है और वह किसी भी प्रकार की कानूनी झझंट मे नही पडना चाहता है। ग्राहक की इसी कमजोरी अथवा लापरवाही के कारण कंपनियॉ अथवा विक्रेता आसानी से खराब उत्पाद बेचकर भी बच निकलता है। हमारे दैनिक जीवन मे उपभोक्ता सुबह से शाम तक शोषित होता है। हमारे देश में पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं। परंतु उपभोक्ताओं का शोषण पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है । खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, माप–तौल मानक अधिनियम तथा विभिन्न नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए धाराऐं भी बनायी गयी। परंतु आज भी उपभोक्ता शोषित हो रहा है। भारत सरकार ने एक ठोस प्रयास के तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया तत्पश्चात उसमें समय–समय आवश्यकता के आधार पर पर संशोधन किए गये।

इस अधिनियम के अंतर्गत तीन स्तर पर उपभोक्ता न्यायलयों का गठन किया गया है। उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करने के लिए राष्टीय स्तर पर एक राष्टीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का गठन किया गया है। साथ ही देश के प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के गठन किए गए। जबकि जिला स्तर पर देश भर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम गठित करके उपभोक्ताओं को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए पहल की गई। इस अधिनियम से उपभोक्ताओं को राहत मिली और उनके चेहरे पर संतोष की चमक आई।

इस अधिनियम के व्यापक प्रसार के लिए भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस के पोस्टकार्ड के जरिए देश

के सभी छोटे बड़े डाकघरों में, पोस्टकार्ड उपलब्ध कराए ताकि संदेश देने के साथ ही प्राप्तकर्ता को उपभोक्ता जागरूकता का संदेश भी प्राप्त हो सके।

भारत सरकार ने टेलीविज़न एवं आकाशवाणी

के जरिए उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए विज्ञापन एवं कार्यक्रम चलाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं की सहायता के लिए उपभोक्ता हेल्पलाईन भी बनाई गई ।

विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहे, वस्तुओं का क्रय करते समय आई.एस. आई/मानक/हॉलमार्क चिन्ह देख कर ले तथा एम. आर.पी एवं एक्सपायरी डेट देखकर वस्तुओं का क्रय करें ।

इन विज्ञापनों के माध्यम से यह बात जरूर पायी गयी है कि आज कुछ उपभोक्ता जागृत हुए हैं और उन्होंने न्याय पाने के लिए उपभोक्ता अदालतों की ओर अपना रूख़ किया है। उपभोक्ता न्यायलय मे लंबित केस पर नियमानुसार कार्यवाही हो रही है जो ये संदेश देते हैं कि जागरूक होने के बाद यदि उत्पाद या सेवा मे किसी भी प्रकार की कमी समझ मे आती है तो उपभोक्ता वस्तु में कमी या सेवा में कमी के लिए न्याय पा सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख रूपए मूल्य तक की शिकायतों की सुनावाई हो सकती है जबकि 20 लाख रूपए मूल्य से उपर तथा 1 करोड़ रूपए के मूल्य तक के उपभोक्ता विवादों की सुनावाई राज्य उपभोक्ता आयोग में की जाती है । इसी के साथ 1 करोड़ के उपर के उपभोक्ता विवादों की सुनवाई

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जाती है। यदि किसी निर्णय में उपभोक्ता या विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वह उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय के विरूद्ध राज्य आयोग में तथा राज्य आयोग के निर्णय के विरूद्ध राष्टीय आयोग में अपील पेश कर सकता है। उपभोक्ता विवाद का कारण उत्पन्न होने के दो साल के अंदर, उपभोक्ता अदालतों में अपना विवाद दर्ज कर सकता है ।

इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उपभोक्ता उसी जिला न्यायलय में विवाद प्रस्तुत कर सकता है जहॉ विपक्ष पार्टी निवास करती है ।

उपभोक्त न्यायलयों का महत्व एवं क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है आज उपभोक्ताओं को कय की गई वस्तुओं में त्रुटि पर तथा सेवा में कमी, होने पर कई क्षेत्रों में जैसे की रेल, वायुयान, कुरियर, उपभोक्ता वस्तु, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शैक्षणिक संस्थाऐं एवं कोंचिंग इन्स्टीटयूट, सर्विस प्रोवाडर, सी.ए0 वकील डॉक्टर्स, ब्यूटीशन, डाईक्लीनर्स, टेलीफोन, चैनल, मोबाईल रेस्टॉरेंट हॉटल, इत्यादि उपभोक्ता न्यायलयों गुहार लगा सकता है ।

जिला उपभोक्ता फोरम में एक अध्यक्ष ;जिला जज स्तर का एवं दो सदस्य जज की पीठ होती है राज्य स्तर पर भी एक अध्यक्ष; हाईकोर्ट जज स्तर तथा दो सदस्य होते हैं । राष्टीय स्तर पर एक अध्यक्ष; सुप्रीम कोर्ट जज स्तर का तथा पॉच से छैः दो सदस्यों की पीठ होती है जो अपना निर्णय बहुमत के अनुसार देते हैं। निर्णय में क्रय की गई वस्तुओं को सुधारनें, बदलने के अलावा क्षतिपूर्ति दी जाती है साथ ही उचित वाद व्यय दिलाया जाता है। विपक्ष द्वारा निर्णय का पालन नहीं करने की दशा में दोषी व्यक्ति को तीन साल की सजा एवं 10000 रूपए तक जुर्माना किया जा सकता है। विपक्ष द्वारा उपस्थिति नहीं देने पर उसके विरूद्व वारंट और गिरफतारी का भी प्रावधान होता है जिससे कि उपभोक्ता को तुरंत राहत मिल सके। अधिनियम में उपभोक्ता अदालतों में झुठी शिकायत प्रस्तुत करने पर अदालत उसे दंडित कर सकती है ।

अधिनियम में अदालतों को 90 दिनों में निर्णय देने का प्रावधान है परंतु उपभोक्ता विवादों की बढ़ती संख्या के कारण न्यायलयों में निर्णय होने में विलंब हो जाता है।

आज बहुत से उपभोक्ता इतनी सुविधाओं के होते हुए भी न्याय लेने में आनाकानी करते हैं। वे इस भावना से ग्रसित रहते हैं कि हम न्यायलयों का चक्कर न लगाए और अपनी गाढ़ी कमाई अपने सामने बिना मूल्य का होता हुए देखते रहते है, बाज़ार में भी तरह तरह से छले जाने के प्रलोभन उपलब्ध है जिसकी चपेट में आकर उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस करता है किंतु अब समय आ गया है कि हम एक जागरूक नागरिक होने का प्रमाण दे और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तथा दूसरों को सजग रहने की प्रेरणा प्रदान करें।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत डाटा फीडिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण

संस्थान में ''मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत डाटा फीडिगं सिस्टम'' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र दिनांक 29 से 31 मई 2018 की अवधि में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डौरी के जनपद शिक्षा केन्द्रों के कुल 40 एमआईएस कोआरडीनेटर एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर उपस्थित हुये।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस दिनांक 29 मई 2018 को पंजीयन, परिचय, प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों का एन्ट्री विहेवियर के आकलॅन करने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूर्व मूल्याकंन ''प्रश्नावली'' के माध्यम से किया गया। प्रतिभागियों को कार्यक्षेत्र में आने वाली डाटा फीडिगं की समस्या और उनके संभावित निदान पर समूह चर्चा करवाई गई। समूह चर्चा के बाद प्रतिभागी समूहों द्वारा प्रजेन्टेशन किया गया। समूह द्वारा बताई गई समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया। जिन समस्याओं का निदान प्रशिक्षण से हो सकता है उन्हें चिन्हित कर लिया। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका निदान प्रशिक्षण से नहीं वरन् राज्य एवं जिला स्तर से हो सकेगा उन्हें प्रशिक्षण की रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया।

इसके उपरांत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मध्यान्ह भोजन नियम, 2015, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान एवं कियान्वयन पद्धति की प्रमुख बातों पर चर्चा श्रीमती संध्या ताम्रकार, टास्क मैनेजर, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, जिला पंचायत–जबलपुर द्वारा की गई। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में डाटा फीडिगं विषय पर प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों पर चर्चा श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, उपसंचालक द्वारा की गई।

प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस दिनांक 30 मई 2018 की शुरूआत प्रथम दिवस में हुई चर्चा के के पुनरावलोकन से हुई। इसके बाद मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम डाटा फीडिगं की तकनीकी जानकारी और कौशल पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग इनफरमेंशन सिस्टम, सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी, एजुकेशन पोर्टल, समग्र शिक्षा, एनुअल एन्ट्री, मन्थली एन्ट्री, यूजर मेनेजमेंट, मास्टर एन्ट्री, स्व–सहायता समूह एन्ट्री, स्कूल डाटा एन्ट्री, ऑन लाईन फंड मेनेजमेंट की जानकारी श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, डाटा

एन्ट्री आपरेटर, जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर दी गई। प्रतिभागियों से कम्प्यूटर पर व्यवहारिक अभ्यास कराया गया।

व्यक्तित्व विकास के लिए वचनबद्धता, समयबद्धता, तनाव से निपटने का क्षमता, सहज होकर अपना 100 प्रतिशत देना, अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करना जरूरी है।

प्रशिक्षण के तीसरे दिवस दिनांक 31 मई 2018 को पुनरावलोकन के बाद मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में व्यक्तित्व विकास एवं स्व–प्रेरणा विषय पर वार्ता डॉ. आशीष शर्मा, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, रानी दुगार्वती विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। श्री इन्द्रमणी त्रिपाठी, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंझौली, जिला जबलपुर द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की भूमिका विषय पर जानकारी दी गई।

संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष, बीआरसी से अपेक्षाएं, डाटा फीडिगं से संबंधित व्यवहारिक कठिनाईयों के समाधान पर चर्चा की गई। चर्चा में उन्होनें बताया कि डाटा फीडिगं सिस्टम से जुड़े लोगों की अपने कार्य में दक्षता के साथ ही साथ मानसिकता सकारात्मक होना चाहिए।

इसके बाद प्रशिक्षण के विषयों का पुनरावलोकन एवं प्रतिभागियें की शंका समाधान डॉ. संजय कुमार राजपूत सत्र समन्वयक द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की प्रभाविकता के आकलॅन करने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पश्चात् मूल्याकंन किया गया। प्रशिक्षण पूर्व मूल्याकंन एवं प्रशिक्षण के बाद के मूल्याकंन मूल्याकंन में सभी 40 प्रतिभागियों के ज्ञान में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रशिक्षण गुणवत्ता को परखने के लिए सभी प्रतिभागियों से प्रशिक्षण का फीडबेक प्रपत्र भरवाकर लिया गया। उपस्थित प्रतिभगियों को प्रमाण–पत्र, समूह छायाचित्र, भारमुक्ति आदेश की प्रति का वितरण का प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य